



फैक्स/ई-मेल

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम (एन0सी0आर0)।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था0/01/2017/ 17104-17189

दिनांक: 09/06/2017

**Subject: Recruitment to the HCS (Executive Branch) from Register A-II of members of Group-C Service upto the vacancies of the year 2016.**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 11571-11656 दिनांक 01.05.2017 व पत्र क्रमांक 14733-14813 दिनांक 19.05.2017 की निरन्तरता में।

विषय संबंध में आपको मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि आप अपने अधीनस्थ श्रेणी-III के कर्मचारियों को इस बारे अवगत करवायें और इच्छुक कर्मचारी जो अपना आवेदन भिजवाना चाहता है, उनके नाम मुख्यालय को नियमानुसार दिनांक 26.05.2017 सांय 05.00 बजे तक अग्रेषित करें। अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा विषय संबंध मामलें में विभाग द्वारा आवेदन भिजवाने बारे दिनांक 06.07.2017 निश्चित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ श्रेणी-III के कर्मचारियों को इस बारे अवगत करवायें और इच्छुक कर्मचारी जो अपना आवेदन भिजवाना चाहता है, उनके नाम मुख्यालय को नियमानुसार दिनांक 30.06.2017 सांय 05.00 बजे तक अग्रेषित करें।



यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 30.06.2017 को सांय 05.00 बजे तक प्राप्त होने वाले नामों पर ही विचार किया जायेगा। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें फाईल कर दिया जाएगा।

उप अधीक्षक (स्था०),

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठाकांन क्रमांक: स्था०/2017/17190-17205 दिनांक: 09/06/2017

इसकी एक प्रति मुख्यालय पर कार्यरत सभी शाखा अधिकारियों को भेजकर अनुरोध है कि वह भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपरोक्त हिदायतों बारे सूचित करें और अगर कोई कर्मचारी इस बारे अपना आवेदन भेजना चाहता है तो दिनांक 30.06.2017 को सांय 05.00 बजे तक भिजवायें।।

उप अधीक्षक (स्था०),

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

DATE BOUND

No.41/2/2017-5SII  
GOVERNMENT OF HARYANA  
CHIEF SECRETARY'S OFFICE  
PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 07<sup>th</sup> June, 2017.

To

1. The Chief Secretary to Government, Haryana.  
(in Establishment I Branch)
2. The Additional Chief Secretary to Government, Haryana and  
Financial Commissioner, Revenue & Disaster Management,  
Haryana.
3. All the Heads of Departments in Haryana.


Subject: - Recruitment to the HCS (Executive Branch) from Register A-II of  
members of Group 'C' Service upto the vacancies of the year 2016.

\*\*\*\*\*

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to this department's letter of even  
number dated 12<sup>th</sup> April, 2017 and subsequent letter dated 9<sup>th</sup> May, 2017 on the  
subject noted above and to say that State Government has extended the last date for  
receipt of recommendation(s) by four weeks i.e. upto 06.07.2017.  
Recommendation(s) received after 06.07.2017 will not be entertained/considered. In  
case no recommendation is received till the aforesaid date, it would be presumed that  
you have no recommendation to make.

Yours faithfully,

  
Deputy Secretary Administration.